

**January 06, 2025** 

The Manager,
Department of Corporate Services
BSE Limited
Floor 25, P.J. Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400 001

BSE Scrip code – [532541]

Equity ISIN INE591G01017

The General Manager,
Department of Corporate Services
The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra, Mumbai – 400 051
NSE Symbol – [COFORGE]

#### Subject: Newspaper publication – Intimation of loss of Share certificate

Dear Sir/Ma'am,

We wish to inform you that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has published the "Notice of loss of Share certificate" in the following newspapers:

- a) Business Standard (Hindi)
- b) Business Standard (English)

Copy of newspaper clippings are attached.

Kindly take the same into record.

Thanking you,

Yours truly,

For Coforge Limited

Barkha Sharma Company Secretary ACS 24060

Encl: as above

**Coforge Limited** 

Special Economic Zone, Plot No. TZ-2& 2A

T: +91 120 4592300 | F: +91 120 4592 301

Sector - Tech Zone, Greater Noida (UP) - 201308, India



#### क्रिस्टल क्रॉप ने खरीदा बेयर का कारोबार

कृषि रसायन कंपनी क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन ने रविवार को कहा कि उसने चुनिंदा एशियाई बाजारों में बिक्री के लिए जर्मनी के बेयर एजी से हर्बिसाइड सक्रिय घटक एथोक्सीसल्फ्यूरॉन का अधिग्रहण किया है। क्रिस्टल क्रॉप ने बताया कि इस सौदे से उसकी आय में 20 फीसदी की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इस अधिग्रहण में बेयर के 'सनराइस' टेडमार्क और

एथोक्सीसल्फ्यरॉन यक्त मिश्रण उत्पाद के साथ ही सभी संबंधित पंजीकरण शामिल हैं। इस रसायन का उपयोग चावल और अनाज की फसलों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह क्रिस्टल का 13वां रणनीतिक अधिग्रहण है और उसने बेयर से दूसरी खरीद की है।

#### रिवर का मार्च तक 25 नए स्टोर खोलने का लक्ष्य

इलेक्ट्रिक स्कूटर (ईवी) विनिर्माता रिवर ने इस साल मार्च तक देशभर में 25 स्टोर खोलकर अपने खुदरा कारोबार का विस्तार करने की योजना बनाई है। बेंगलुरु मुख्यालय वाली इस कंपनी ने कोयंबटुर में अपना पहला स्टोर खोला, जो तमिलनाडु में इस तरह की दूसरी सुविधा है। इससे पहले चेन्नई में पहला स्टोर 2024 में स्थापित किया गया था। रिवर को जापान-मुख्यालय वाली यामाहा मोटर, मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड, दुबई-मुख्यालय वाले अल फुतैम ग्रुप सहित अन्य प्रमुख निवेशकों का समर्थन प्राप्त है। अपने विस्तार के तहत कंपनी की योजना राज्य के वेल्लोर, इरोड, तिरुपुर में स्टोर खोलने की है। आने वाले महीनों में यह मैसरु, बेलगाम, तिरुपति, अहमदाबाद, पुणे, नागपुर और दिल्ली में भी अपनी सुविधाएं स्थापित करेगी। कंपनी के मुख्य कार्याधिकारी अरविंद मणि ने कहा, चेन्नई में अपने प्रमुख स्टोर की सफलता के बाद हम पूरे तमिलनाडु में स्टोर खोलने के प्रति उत्साहित हैं।

#### वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के नतीजे पूर्व समीक्षा

### कम बिका एफएमसीजी कंपनियों का माल!

मुंबई, 5 जनवरी

जमर्रा के सामान (एफएमसीजी) बनाने वाली कंपनियों की मात्रा पर चालु वित्त वर्ष की अक्टूबर से दिसंबर तिमाही (तीसरी तिमाही) के दौरान दबाव देखने को मिल सकता है। मगर तिमाही के दौरान कीमतों में वद्धि से राजस्व बढ़ने में मदद भी मिल सकती है। शहरी मांग में लगातार कमी से उपभोक्ता वस्तु बनाने वाली कंपनियों के चालू वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही का प्रदर्शन भी प्रभावित होने के आसार हैं।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, 'हमारी जांच से पता चला है कि एफएमसीजी के मांग के माहौल पर कई कारणों से कोई बड़ा सुधार देखने को नहीं मिला है।' ब्रोकरेज ने बताया कि वृहद परिदृश्य कमजोर बना हुआ है और कुछ कंपनियों ने प्रणाली की स्थिति बेहतर करने के लिए अपनी इन्वेंट्री में सुधार किया है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने अपने नोट में कहा है, 'रिलायंस जैसी बड़ी कारोबारी कंपनी भी अपनी इन्वेंट्री कम करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण उपाय कर रही है, जिससे एफएमसीजी कंपनियों से उठाव भी कम हो गया है।

कृषि वस्तओं की बढ़ती कीमतों का भी असर दिसंबर में समाप्त तिमाही पर पड़ सकता है, जिससे पैक्ड सामान बनाने वाली कंपनियों की सकल मार्जिन प्रभावित होगा।

एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने अपने नोट में कहा है, 'कृषि जिंसों (स्किम्ड दुध पाउडर और चीनी को छोड़कर) के अधिकतर वस्तुओं में महंगाई बढ़ी है और गेहूं की कीमतें एक साल पहले के मुकाबले 15 फीसदी और जौ की कीमतों में 11 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है। कॉफी और सुखे



नारियल तक में तेज महंगाई दर्ज की गई। कॉफी की कीमतें जहां पिछले साल के मुकाबले 65 फीसदी तक बढ़ी हैं वहीं कोपरा की कीमत में भी 39 फीसदी की उछाल आई है।'

ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनियों ने साबन. चायपत्ती, कॉफी, खाद्य तेल आदि श्रेणियों में कीमतें बढ़ाकर इसका सहारा लिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि कृषि वस्तुओं की अधिक कीमतों का असर नेस्ले. ब्रिटानिया, मैरिको और टाटा कंज्यूमर जैसी एफएमसीजी कंपनियों पर पड़ना चाहिए। विश्लेषकों का कहना है कि तिमाही के दौरान सर्दी देर से आने के कारण भी उन कंपनियों को नुकसान हो सकता है, जो सर्दी के मौसम के अनुरूप उत्पाद बनाती है।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने तिमाही नतीजे पूर्व अपनी समीक्षा में कहा है कि क्षेत्र की सकल मार्जिन में सालाना आधार पर 160 आधार अंकों तक की गिरावट आने के आसार हैं।इसकी वजह निम्न उत्पाद मिश्रण (सर्दी देर से आने के कारण उच्च मार्जिन वाले व्यक्तिगत उत्पाद अथवा हेल्थ सप्लीमेंट्स रेंज की बिक्री पर असर पड़ा है) और गेहूं, खाद्य तेल, चाय पत्ती, कॉफी, सूखे नारियल, दूध, आदि जैसे कृषि जिंस श्रेणी में ज्यादा महंगाई बढी है। मगर इसने उम्मीद जताई है कि होम एवं पर्सनल केयर कंपनियों का मार्जिन बेहतर रह सकता है क्योंकि कच्चे तेल से निकलने वाले अधिकतर उत्पादों की कीमतें नरम बनी रहेंगी और इसमें एक साल पहले के मुकाबले 10 फीसदी की कमी आई है।

मगर ग्रामीण मांग में लगातार सुधार से इस तिमाही में एफएमसीजी कंपनियों को मदद मिलेगी। नोमुरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, 'हमें उम्मीद है कि ग्रामीण मांग में औसत से लंबे समय तक रहे मॉनसून (लंबी अवधि के औसत का 8 फीसदी ज्यादा) और मजबूत खरीफ फसल (पिछले साल के मुकाबले 6 फीसदी अधिक) के कारण सुधार जारी रहेगा, साथ ही समग्र उत्पादन हाल के वर्षों में सर्वाधिक में से एक होगा।

## पूंजीगत वस्तु और इंजीनियरिंग फर्मों की लाभप्रदता रहेगी स्थिर

अमता पिल्लै मुंबई, 5 जनवरी

भारत के पूंजीगत वस्तु और इंजीनियरिंग फर्मों की वृद्धि को कच्चे माल की कम लागत और ऑर्डर बुक के दमदार निष्पादन से बल मिलेगा। विश्लेषकों का यह कहना है। उनका मानना है कि चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही (वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही) में पूंजीगत वस्तु और इंजीनियरिंग फर्मों की लाभप्रदता में स्थिरता बरकरार रहेगी, भले ही शेयर बाजार के मूल्यांकन में गिरावट आई हो।

ब्लूमबर्ग विश्लेषकों की आम सहमति है कि इस क्षेत्र की अधिकतर कंपनियों के लिए शद्ध बिक्री, एबिटा, कर पश्चात मनाफा (पैट) के लिए दो अंकों में वृद्धि की गुंजाइश दिख रही है। मोतीलाल ओसवाल के विश्लेषकों ने दिसंबर के नोट में कहा है, 'हमने जिन कंपनियों का विश्लेषण किया है उनकी एबिटा मार्जिन में एक साल पहले के मुकाबले 20 आधार अंक वृद्धि की संभावना है। वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में हमने जिन कंपनियों का विश्लेषण किया है उनकी राजस्व वृद्धि एक साल पहले की समान अवधि की मकाबले 19 फीसदी बढ़ेगी और एबिटा में 21 फीसदी और कर पश्चात मुनाफा में 26 फीसदी वृद्धि की संभावना है।' ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल

ओसवाल ने कहा कि वृद्धि की उम्मीद इसलिए की जा रही है क्योंकि चयनात्मक ऑर्डर में सुधार के बावजूद दमदार ऑर्डर बुक से क्षेत्र की कंपनियों के लिए बेहतरीन राजस्व का अनुमान हो रहा है।विश्लेषकों को भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग फर्म के समेकित राजस्व में 20 फीसदी वृद्धि की उम्मीद है और मुख्य कारोबार की एबिटा मार्जिन में 20 फीसदी बढ़ोतरी हो सकती है, जो एक साल पहले के मुकाबले 40 आधार अंक अधिक है।

पूंजीगत वस्तु और इंजीनियरिंग फर्मों की वित्त वर्ष 2025 में अब तक नए ऑर्डर हासिल करने की गति मिली जुली रही है। जेफरीज के विश्लेषकों के मुताबिक, 'चुनावों के बाद नए ऑर्डर मिलने की गति मंद पड़ गई और वृद्धि एवं मुल्यांकन के प्रति निवेशकों की चिंताएं भी सामने आईं। साथ ही, वित्त वर्ष 2025 के सात महीनों में केंद्र पूंजीगत व्यय में 15 फीसदी की गिरावट आने के साथ वास्तविक (पूंजीगत व्यय) खर्च भी निराशाजनक रही। वित्त वर्ष 2025 के पांच महीनों में 5 फीसदी की वृद्धि हासिल करने के लिए नवंबर से मार्च 2025 तक 32 फीसदी सालाना वृद्धि हासिल करने होगी।' रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र विधान सभा चनावों के बाद सरकारी बुनियादी ढांचे का खर्च बढ़ने पर ऐसा होने की उम्मीद है।

#### वाहन कलपुर्जा कंपनियों का नए बाजार, उत्पाद पर ध्यान

अंजलि सिंह मुंबई, 5 जनवरी

वाहनों के लिए कलपर्जा बनाने वाली कंपनियों को मांग में नरमी और वैश्विक बाजार में मंदी की वजह से चालू और अगले वित्त वर्ष में राजस्व में 6 से 8 फीसदी की कंपनियां अब इसी प्रभाव को कम करने के लिए अपने बाजार में विविधता ला रही हैं।

क्रिसिल की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, रिप्लेसमेंट मांग से कुछ मदद मिल सकती है मगर पिछले साल की अपेक्षा निर्यात वृद्धि में

गिरावट आने के आसार हैं। गिरावट की आशंका है। इसने कई कंपनियों को वृद्धि के नए रास्ते तलाशने के लिए प्रेरित किया है।

वाहनों के लिए कलपर्जा बनाने वाला प्रमुख आरएसबी समूह ने बुनियादी ढांचे में निवेश की कमी के कारण वाणिज्यिक वाहनों और निर्माण उपकरण क्षेत्र में 15 फीसदी तक नरमी आने की बात स्वीकार की है। कंपनी ने सरकारी खर्च और जीडीपी वृद्धि पर उद्योग की निर्भरता के बारे में भी

इससे निपटने के लिए आरएसबी अपनी वैश्विक उपस्थिति बढाने पर ध्यान दे रहा है खासकर भारत

से निर्यात बढ़ाने के लिए मेक्सिको में अपनी उपस्थिति का फायदा उठा रहा है। कंपनी आने वाले वित्त वर्ष में निर्यात को अपने टर्नओवर का कम से कम 20 फीसदी करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। कंपनी अपनी प्रौद्योगिकी क्षमताओं को बढा रही है और अपनी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए अधिग्रहण की संभावनाएं भी तलाश रही है।

शाइन जैकब और ध्रुवाक्ष साहा चेन्नई/नई दिल्ली, 5 जनवरी

भारतीय रेलवे ने वाहनों की ढलाई में वृद्धि दर्ज की है। रेलवे के जरिये वाहनों की ढुलाई साल 2014 में महज 1.5 फीसदी थी, जो बढकर अब 20 फीसदी से अधिक हो गई है। भारतीय रेल के मृताबिक, चाल वित्त वर्ष की अप्रैल से दिसंबर अवधि के दौरान वाहनों की ढलाई के लिए रेलवे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रेक की संख्या 9 फीसदी बढ गई है. जिससे माल ढलाई राजस्व भी 5 फीसदी बढ़कर 973 करोड़ रुपये हो गया है।

वित्त वर्ष खत्म होने में अभी तीन महीने शेष हैं और मारुति सुजूकी, ह्यंडै मोटर इंडिया जैसी दिग्गज कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं. जिससे वित्त वर्ष खत्म होने तक वाहनों की ढलाई के जरिये अर्जित रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है, जो बीते वित्त वर्षे 2024 के 1,250 करोड़ रुपये के मकाबले अधिक है। अगर हम यात्री कार बाजार की दिग्गज मारुति सजकी की बात करें तो कंपनी ने बीते कैलेंडर वर्ष ( 2024 ) में 20 लाख से अधिक



रेलवे के जरिये वाहन ढुलाई में तेजी

गाडियों का उत्पादन किया था और रेलवे के जरिये 4,96,600 वाहनों की ढुलाई कराई। यह आंकड़ा कैलेंडर वर्ष 2023 के 4,22,300 गाड़ियों के मुकाबले 18 फीसदी अधिक है। इसी तरह, ह्युंडै ने भी बीते साल करीब 1.56.724 गाडियों की ढलाई रेलवे के जरिये ही की. जो साल 2023 के होने वाला राजस्व 1,400 करोड़ 1,50,000 गाड़ियों से अधिक है। की कुल घरेलू थोक मात्रा का 26 फीसदी हिस्सेदारी है।

> बिजनेस स्टैंडर्ड के पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, चालु वित्त वर्ष की अप्रैल से दिसंबर अवधि के दौरान वाहनों

की ढुलाई के लिए रेलवे द्वारा मुहैया कराए गए रेक की संख्या 5,651 थी, जबिक वित्त वर्ष 2024 की समान अवधि में 5,198 थी। इसके नतीजतन, रेलवे की माल ढुलाई से होने वाली आमदनी भी बढ़ी है। इससे वित्त वर्ष 2025 की अप्रैल से दिसंबर में राजस्व 973 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 928 करोड़ रुपये था। अब लगभग सभी यात्री और वाणिज्यिक वाहन कंपनियां ढलाई के लिए रेलवे पर निर्भर हैं। रेलवे के जरिये अपने वाहनों एक जगह से दूसरे जगह भेजने वाली कंपनियों में टाटा मोटर्स और महिंद्रा ऐंड महिंद्रा काबी नाम शामिल है।

उल्लेखनीय है कि साल 2013 में ऑटोमोबाइल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर (एएफटीओ) लाइसेंस पाने वाली पहली वाहन विनिर्माता कंपनी यह कैलेंडर वर्ष 2024 में कंपनी मारुति सुजूकी थी। खबरों के मुताबिक, मारुति सजुकी के अलावा ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एपीएल वास्कोर, अदाणी एनवाईके, और जोशी कोनाइक ट्रांसपोर्ट ऐंड इन्फ्रास्ट्रक्चर के पास भी एएफटीओ लाइसेंस है।

#### निवास हाउसिंग फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड

(पूर्व में इंडोस्टार होम फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात, जिसे यहां बाद में एनएचएफपीएल कहा गया है) पंजीकृत कार्यालयः- यूनिट सं. 305, तीसरी मंजिल, विंग 2/ई, कॉरपोरेट एवेन्यू, अंधेरी-घाटकोपर लिंक रोड,

कब्जा सूचना [नियम 8(1) तथा (2)]

चंकि. यहां नीचे उल्लेखित प्रत्यामत ऋणदाता के अधिकत अधिकारी ने प्रतिभतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पनर्गठन तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन (अधिनियम), 2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों के प्रयोग के तहत मांग सूचना जारी की गई थी, जिसमें कर्जदारों को कथित सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर सूचना में उल्लेखित रकम चुकत

कर्जदारों द्वारा संबंधित रकम का भुगतान करने में असफल होने के कारण, एतद्द्वारा कर्जदारों एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के प्रयोग के तहत एनएचएफपीएल के अधिकत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष उल्लेखित तारीख को यहां नीचे उल्लेखित सम्पत्ति पर

कर्जदार का ध्यान प्रत्याभूत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

से संबंधित कोई भी सौदा यहां नीचे उल्लेखित रकम तथा उस पर ब्याज एवं अन्य शुल्कों के लिए एनएचएफपीएल के प्रभार का विषय होगा।

ऋण खाता	कर्जदार एवं	रकम एवं मांग सूचना की तारीख	कब्जा की	कब्जा की		
संख्या	सम्पत्ति का विवरण	•	तारीख	स्थिति		
LNDEL0HL-	1. राहुल सिंह (कर्जदार)	रु. 7,75,608/- (रुपये सात लाख पचहत्तर हजार	03-01-2025	प्रतीकात्मक		
01220021160	3. सोनिका भाटी (सह-कर्जदार)	छह सौ आठ मात्र), दिनांकः 14-जून-2024		कब्जा		
	सम्मित का विवरण: मॉर्डर्न रेलवे सिटी, ब्लॉक-डी, ग्राम गिरधरपुर, सूनरसी, परगना दादरी तहसील एवं जिला गौतम बृद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201009					
में स्थित खसरा नं. 246 में से, 60 वर्ग यार्ड अथवा 50.16 वर्ग मीटर परिमाप क्षेत्रफल का रिहायसी प्लॉट नं. 48 का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा।						
ऋण खाता				_		
ऋण खाता	कर्जदार एवं	रकम एवं मांग सूचना की तारीख	कब्जा की	कब्जा की		
ऋण खाता संख्या	कजदार एव सम्पत्ति का विवरण	रकम एवं मार्ग सूचना का ताराख	कब्जा की तारीख	कब्जा की स्थिति		
	,	रु. 5,73,080/- (रुपये पांच लाख तिहत्तर हजार	तारीख			
संख्या	सम्पत्ति का विवरण			स्थिति		
संख्या LNGHA0HL- 01220021825	सम्पत्ति का विवरण 1. गाजे सिंह (कर्जदार) 3. दीपा (सह-कर्जदार)	रु. 5,73,080/- (रुपये पांच लाख तिहत्तर हजार	तारीख 03-01-2025	स्थिति प्रतीकात्मक कब्जा		

स्थानः दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर हस्ता/- अधिकृत अधिकारी कर्त निवास राजसिंग फार्सेंस पा लि तारीख: 06.01.2025

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra एक परिवार एक बैंव

शाखा कार्यालय :-एससीएफ 2, सेक्टर 6, बहादुरगढ़, जनपद झन्जर, हरियाणा - 124507

एनपीए

माँग सचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्भाण तथा प्रतिभूति

हित प्रवर्तन अधिनियम २००२ की धारा 13(२) के अंतर्गत सूचना

तदद्वारा एक सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित ऋणकर्ता(ऑ) / गारंटर(रों) ने बैंक से अपने द्वारा प्राप्त ऋण सविधाओं के मलधन और ब्याज के तिभुगतान में चुक की है और उक्त सुविधाएं **19/10/2024 को अनार्जनकारी परिसंपत्तियों (एनपीए)** में बदल गई हैं। वित्तीय परिसंपत्तिय के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत एक सूचना उधारकर्ता(ओ)/गारंटर(रों) को उनके अंतिम ज्ञात पतों पर पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा निर्गत की गयी थी। एतदद्वारा उधारकर्ता(ओ)/गारंटर(रों) को उसके बारे में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है।

उधारकर्ता(गण) :- मैसर्स श्री	78
ट्रेडर्स (प्रोप रवि दत्त), पता :	सु
जीएफ 123ए, गली कांडले	748
कशान, कटरा बैरियान, फतेहपुरी	बह
उत्तर पश्चिम दिल्ली— 110006,	रा
गारंटर(गण) ≔ (1) श्री रवि दत्त	स
पुत्र श्री निवास शर्मा, पता :-	पर्f
मकान नंबर 323 / 14,	দ
बसत विहार, संट पुआल स्कूल के	a.,
पास, बहादुरगढ़,	- T
झज्जर, हरियाणा— 124507, (2)	तः
श्री श्रीनिवास पुत्र श्री रामानंद,	G.

उधारकर्ता/गारंटर

का नाम

पत्तियों के विवरण / प्रवर्तित की जानेवाली प्रतिभूत बकाया राशि (माँग सूचना की माँग सूचना तिथि के अनुसार) 19.12.2024 29.11.2004 हण सविधा की प्रकृति और राशि : 15,19,924 /-तथा **19.12.2024** से प्रभावी, राशि **विधा—1 :—** रु. 15.00 लाख का नकद ब्याज व्यय और अन्य शल्क। • ऋण । (खाता सं. 60413228089); प्रतिभूति :— प्राथमिक प्रतिभूति :— स्टॉक और ाही ऋणों का दृष्टिबंधन; **संपार्श्विक प्रतिभूति :-** महावीर पार्क में बहादुरगढ़ की

ाजस्व संपदा के भीतर स्थित संपत्ति आईडी संख्या बीजीआर/डब्ल्यू/22/0018 धारक वाणिज्यिक संपत्ति मतुल्य बंधक, जो नगरपालिका सीमाओं के अंदर, बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा में स्थित तथा **निम्नानुसा**र **रिसीमित है :-- पूर्व :** सुधीर चंद का प्लॉट (साइड 9'); **पश्चिम :** गली सरे आम (साइड 9'); **उत्तर :** सुधीर चंद लॉट (साइड 18'); **दक्षिण :** प्लॉट और आम रास्ता (साइड 18')। **(सीईआरएसएआई आईडी— 200064454642), वर्तमान** काया (18.12.2024 के अनुसार): लेजर बैलेंस : रु. 14,91,298.70; अप्रयुक्त ब्याज : रु. 24,670/-**ाँडिक ब्याज :** रु. 3,955 / –; **ंडिस्वार्ज शुल्क :** रु. 0.00; **कुल बकाया देयराशियाँ :** रु. 15,19,924 / – (पूर्णांकित) नथा साथ में राशि पर ब्याज (वर्तमान में 11.80% की दर पर) व्यय और अन्य शुल्क जो 19.12.2024 से प्रभावी हैं

**पता :-** मकान नंबर 14/343, बसंत विहार, किला मोहल्ला, सेंट पुआल स्कूल के पास, बहादुरगढ़, झज्जर, हरियाणा– 124507

सलाह दी जाती है कि वे सूचना में उल्लिखित राशि का, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान कर दें, ऐसा न करने पर हम वित्तीय पिरसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम २००२ की धारा 13(4) के तहत सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा, उधारकर्ता(ओं) 🏏 गारंटर(रों) को एतद्द्वारा हमारी पूर्व सहमति के बिना ऊपर वर्णित किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्ति का किसी भी विधि लेन–देन

करने से प्रतिबंधित किया जाता है। यह विषयगत अधिनियम और 🖊 या किसी अन्य लागू विधि–व्यवस्था के अंतर्गत हमें उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार पर प्रतिकल प्रभाव डाले बिना है। आपका ध्यान, प्रतिभत परिसंपत्तियों को भनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि धारा 13(13) के अनुसार उधारकर्ता / गारंटर, प्रतिभूत ऋणदाता की लिखित सहमति प्राप्त किये बिना यहां नीचे अनुसूची बी में विवरणित उक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विक्रय, पट्टा के माध्यम सं अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं करेंगे। आगे यह भी आपके ध्यान में लाया जाता है कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए गए इस वैधानिक निषेघाज्ञा / रोकथाम का कोई भी उल्लंघन एक अपराघ है और यदि किसी भी कारण से, व्यापार के सामान्य अनुक्रम में प्रतिभृत परिसंपत्तियां बेची जाती हैं या पट्टे पर दी जाती हैं, तो बिक्री से प्राप्त आय या वसूलीकृत आय को प्रतिभूत ऋणदाता के पास जमा किया जायेगा। इस संबंध में आपको ऐर वसूलीकरण / आय का उचित लेखा–जोखा प्रस्तुत करना होगा।

दिनाँक : 04--01--2025 स्थान : बहादुरगढ़ (जनपद झज्जर) प्राधिकृत अधिकारी

#### ई-मेल : sbi.18184@sbi.co.in, शाखा कोड : 18184, फोन : 0141-2657811, 2657921, 2657926, 2657989

भारतीय स्टेट बैंक. तनावग्रस्त आस्ति वसली शाखा. ततीय मंजिल.

परिशिष्ट । 🗸 क [ नियम ८(६) का परन्तुक देखें ] अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

प्रतिभृत हित (प्रर्वतन) नियम, 2002 के नियम 8(ह), के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों क प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल आस्तियों वे विक्रय हेतु ईं–नीलामी विक्रय नोटिस।

अम लोगों को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता और प्रत्याभृति श्री उमराव नाथ जोगी पुत्र श्री हेमनाथ जोगी एव जान लाग को एवं। येथा रूप से उद्यारक्षी जा अंदान्तुरा जो उपने पाने वाला है कि नीचे वर्णित अचला स्थानी अभिनी प्रमाती देवी पत्ति औ अभवाव नाथ जोगों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी है, का कब्जा भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को "जैसी है जहां है", "जो है जैसी है", "जित्नी भी उपलब्ध है" और दायून्व रहित" के आधार पर है, को 'जेसी है जहा है', ''जो है जेसी है', ''जितनी भी उपलब्ध है'' और दायित्व सहेत' के आधार पर दिनांक 20.01.2025 के विक्रय जिया। प्रतिभृत लेनदार की बकाया राशि रूपये 41,36,528/-(अक्षरे इकतालीस लाख छतीस हजार पाँच सौ अठाईस रूपये) (दिनांक 10.10.2024 को बकाया) तथा इसवे आगे का व्याज एवम अन्य देय खर्चे श्री उमराव नाथ जोगी पुत्र श्री हेमनाथ जोगी एवं श्रीमती प्रमाती देव पत्नि श्री उमराव नाथ जोगी से सम्बंधित है। आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि निम्न तालिका अनुसार होगी अधिम राशि बैंक / E-bkray की वेबसाइट पर दी गई प्रक्रिया अनुसार ई—नीलामी बंद होने से पूर्व जमा कराई

इच्छुफ बाजाराज 'Ebbary भारक' ने इरनेख को राश इन्गानामा बच होने से यूच जाने के रूपित हो है-Bkray पोर्टल में मुगाना की प्राप्ति और ईन्नीलामी वेबिकाइट में ऐसी वानकारी को अधदान/अपडेट करने के बाद ही बोलीदाता को फ्री-बिड ईएनडी का क्रेडिट दिया जाएगा। इन कार्यवाहियों को अधदान/अपडेट होने में बिकेंग प्रक्रिया के अनुसार कुछ समय लग सकता है और इसलिए बोलीदाताकों को उनके स्वयं के हित में सलाइ दी जाती है कि अतिम समय की किसी भी समस्या से बचने के लिए बोली पूर्व ईएमडी राशि पर्याप्त

जोगी पुत्र श्री हेमनाथ जोगी के नाम से है, जिसका कुल क्षेत्रफल 147.08 वर्ग गज है। चारों सीमाएं :— पुर्वः प्लॉट नं. 58, पश्चिमः प्लॉट नं. 56	(1)	
चारों सीमाएं :— पूर्वः प्लॉट नं. 58, पश्चिमः प्लॉट नं. 56	39,00,000.00	प्रातः 11:00 बजे से दोपहर
जत्तरः रोड़ 30, दक्षिणः अन्य भूमि CERSAIID-200014626432	(2) 3,90,0 <b>00.00</b>	03:00 बजे तक

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए गए भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्त्रि वसूली शाखा प्रतिमृत लेनदार की वेबसाईट https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/auction notices/sarfaesi-and-others तथा https://E-bkray.in/e-auction-psb/home पर देखें।

दिनांक : 02.01.2025, स्थान : जयपुर (राज.) प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

#### (T) IDBI BANK

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, एनपीए मैनेजमेंट ग्रुप, 8वीं मंजिल, प्लेट बी, ब्लॉक 2, एनबीसीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली – 110023

सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश

**उधारकर्ता**: मेसर्स अरावली इंफ्रापावर लिमिटेड, **पंजीकृत कार्यालय का पता: -** जी -9 ग्राउंड फ्लोर, गुप्ता प्लाजा, प्लॉट नंबर - 5, ब्लॉक - एम, लोकल शॉपिंग सेंटर, विकासपुरी, नई दिल्ली – 110018

मेसर्स अरावली इंफापावर लिमिटेड ( उधारकर्ता ) और श्री राकेश जॉली. श्री कलदीप सिंह **यादव और श्री अनिल कमार सिंह ( प्रवर्तक ⁄निदेशक आदि )** को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकत करने के मामले में नीचे उल्लिखित व्यक्ति को यह सुचित किया जाता है कि बैंकों द्वारा धोखाधडी पर आरबीआई मास्टर निर्देशों के अनुसार जारी आदेश – वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा एफआई द्वारा दिनांक 01 जलाई. 2016 ( "मास्टर निर्देश" ). बिना प्राप्त किए वापस आ गया है।

नाम	पता	पदनाम
अरावली इंफापावर लिमिटेड	जी-9, ग्राउंड फ्लोर, गुप्ता प्लाजा, प्लॉट नंबर - 5, ब्लॉक - एम, लोकल शॉपिंग सेंटर, विकासपुरी, नई दिल्ली - 110018	उधारकर्ता कंपनी
श्री कुलदीप सिंह यादव	मकान नं. – 2671-बी, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर – 46, गुरुग्राम, हरियाणा. पिन – 122022	पूर्णकालिक निदेशक
श्री अनिल कुमार सिंह	बी-61, प्रथम तल, दयानंद कॉलोनी, लाजपत नगर – IV, नई दिल्ली – 110024	पूर्णकालिक निदेशक

उपरोक्त व्यक्ति, यदि वे चाहें तो, लौटाए गए बिना प्राप्त किए गए तर्कपूर्ण आदेश को, व्यक्तिगत रूप से या पहचान का प्रमाण प्रस्तत करके. विधिवत प्राधिकत व्यक्ति द्वारा. ऊपर दिए गए पते पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता से पाप्त कर सकते हैं।

हरि कुमार मीणा

उप महाप्रबंधक

दिनांक - 03 जनवरी, 2025

22.11.24 [See Regulation-15 (1) (a)] / 16(3)
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JAIPUR
First Floor, Sudharma-II, Lal Kothis
Shopping Center, Tonk Road, Jaipur-302015
Case No.: 0A/1255/2024
Summons under sub-section (4) of section 19 of
the Act, read with sub-rule (24) of rule 5 of the
Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.
HDFC BANK VS

HDFC BANK VS Exh. No. 1396 MS NEELAM PLASTICS To, (1) Ms Neelam Plastics Through Proprieto S/o Nitin Singhvi At Sumerpur Road, Nea hivam Hotel, New Bus Stand, District Pali laiasthan-306401

Rajastran-300401 (2) Nitin Singhvi Proprietor Of Ms Neelam Plastics S/o Lakhpat Raj Singhvi, 7-A, Arihant Mention Mahaveer Nagar Pali, Rajasthan (3) Lakhpat Raj Singhvi S/o Manak Lal 4) Deepmala D/o Prakash Chand. 67 SUMMONS

SUMMONS
WHEREAS, OA/1255/12024 was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on 15.10.2024.
WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/ Notice on the said Application under Section 19(4) of the Act, (O.A.) filed against you for Recovery of Debts of Rs. 4257357/- (Application along with copies of documents etc. annexed). In accordance with sub-section (4) of Section 19 of the Act, you the Defendants are directed as under- (1) show cause within thirty days of the service of show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted; (ii) to disclose particulars of properties of ssets other than properties and assets specified by ne applicant under serial number 3A of the origina pplication; (iii) you are restrained from dealing wit disposing of secured assets or such other asset nd properties disclosed under serial number 3A o ne original application, pending hearing and disposa If the application for attachment of properties; (iv) yo hall not transfer by way of sale, lease or otherwise xcept in the ordinary course of his business and search in trainster by way to sale, pease of underwheaps search of the assets over which security interest is created and/or of ther assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal; (v) you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 16.04.2025 at 10.30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence. nall be heard and decided in your absence Given under my hand and the seal of this Tribunal or his date: 20.11.2024. Assistant Registrar Seal Debts Recovery Tribunal, Jaipu

Hindustan Steelworks
Construction Limited A Subsidiary of NBCC (India) Limited Corporate Office: 3rd Floor, NBCC Square Plot No. IIIF/2, Action Area-III, Newtown (Rajarhat), Kolkata - 700135 (W.B.)

NOTICE INVITING E-TENDER No.: HSCL/Kolkata/NSIC/Baltikuri BW/2024/e-061 Online e-Tender is invited from eligibl

oidders for "Upgradation of Boundary wall at NSIC Technical Service Centre Japanigate, Baltikuri, Howrah". Bio documents/Corrigendum (if any) etc. is available at http://hscl.enivida.com and submission: 20.01.2025.

Advt. No. 2024-25/001 CIN No. U27310WB1964 GOI026118 Website: www.hsclindia.in इस्पात के लिए पीएलआई योजना का अगला दौर आज सरकार सोमवार को इस्पात क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का एक और दौर शुरू करेगी। पीएलआई योजना 1.1 का शुभारंभ इस्पात मंत्री एच डी कुमारस्वामी करेंगे। मंत्रालय ने बयान में कहा, केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री इस्पात उद्योग के लिए पीएलआई योजना 1.1 का

शुभारंभ करेंगे। 6 जनवरी को

आवेदन आमंत्रित करेंगे। *भाषा* 

#### Coforge Coforge Limited

CIN: L72100DL1992PLC048753 Regd Office: 8, Balaji Estate, Third Floor, Guru Ravi Das Marg, Kalkaji, New Delhi-110019. Ph: 91 (11) 41029297 Email: investors@coforge.com Website: https://www.coforge.com NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATE

Notice is hereby given that the following share certificates issued by the Company is reported lost/misplaced by the shareholder/s. The shareholder/s has thereof applied to the Company for the issuance of Letter of Confirmation in lieu of Duplicate share

Name of the Registered holder	Folio No.	Jointholder 1	No. of Shares	Certificate No.	Distinctive Nos.
harnendra Hooda	a 1066	NA	56	1079	10752951 - 10753006
namenura nooda	1000	INA	28	6670	39190957 - 39190984

Any person who has claim in respect of the above shares should communicate the same to the Company at its Registered Office (at above address) within 15 (fifteen) days from the date of this advertisement. The Company shall thereafter process the request as per he prevailing laws. Thereafter any person dealing with such share certificate/s will be doing so solely at his/her own risk as to costs and consequences and the Company shall not be responsible for it in any manner.

For and on behalf of Coforge Limited

Dated: January 04, 2025 Place: Noida

Barkha Sharma Company Secretary

दिल्ली संस्करण : बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा द इंडियन एक्सप्रेस (प्रा) लिमिटेड, ए–८, सेक्टर–७, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर–201301, उ.प्र. से मुद्रित एवं नेहरू हाउस, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नईदिल्ली से प्रकाशित संपादक : कैलाश नौटियाल आरएनआई नं. DELHIN/2008/27804 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन - 033-22101314/1022/1600 फैक्स - 033-22101599 सबस्किप्शन और सर्कूलेशन के लिए संपर्क करें... सुश्री मानसी सिंह हेड, कस्टमर रिलेशन्स बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, एच./4,बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, बिड़ला सेंचुरियन के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई-400013 ईमेल.. subs\_bs@bsmail.in या 57575 पर एसएमएस करें REACHBS कोई हवाई अधिभार नहीं

## Prolonged litigation, low compensation

Since no expert

evidence was

provided, the

"manufacturing

held that a

**National Commission** 

defect" had not been

established, but the

repeated major repairs constituted a

"deficiency in

service"



#### **CONSUMER PROTECTION**

JEHANGIR B GAI

Bahadur Singh purchased a Mitsubishi Lancer diesel vehicle manufactured by Hindustan Motors. It was purchased for ₹9,32,829 from Northern Motors Pvt. Ltd., an authorised dealer.

Within a few months of purchase. while Singh was driving the vehicle on January 7, 2005, he noticed noise and

excessive fuel consumption. He sent the vehicle to the dealer to address these defects, as it was within the warranty period.

The dealer attended to the vehicle, but the same defects kept recurring, requiring repeated repairs. On June 21, 2005, the vehicle came to an abrupt halt due to engine seizure. It had to be towed. Since the defects persisted even after two engine

overhauls, the vehicle remained parked with Northern Motors. Singh first approached the District

Consumer Commission, which ordered the replacement of the car with a new defect-free vehicle. Additionally, the dealer was directed to pay ₹50,000 as compensation.

The order was challenged in appeal. The Punjab State Commission modified the order, directing that only the engine be replaced, not the entire vehicle. In addition to the ₹50,000 imposed by the District Commission on the dealer, the State Commission awarded a further amount of ₹1 lakh as compensation, payable by the manufacturer.

Hindustan Motors, the manufacturer, challenged the order by filing a revision before the National Commission. The

manufacturer and the dealer argued that the problems arose because the vehicle had met with an accident. They pointed out that the vehicle had functioned properly for a few months, indicating no manufacturing defect. Even the expert appointed by the District Commission had not attributed the faults to manufacturing defects.

The National Commission observed that in the absence of evidence, it would be incorrect to conclude that the vehicle had met with an accident merely because the insurer was made a party to the proceedings.

The National Commission also noted the evidence revealed that the engine had seized, requiring extensive repairs and overhauls. The vehicle had to be repeatedly sent to the garage, proving that defects kept recurring. Subsequently, the vehicle stalled again

and remained parked in the garage during the pendency of the dispute.

The Commission distinguished between an "ordinary defect" and a "manufacturing defect", explaining that the former can be rectified by replacing the defective part, whereas the latter would be a fundamental defect inherent in the manufacturing process. A "manufacturing defect" would require expert evidence to

establish. Since no expert evidence was provided, the National Commission held that a "manufacturing defect" had not been established, but the repeated major repairs constituted a "deficiency in

Accordingly, in its order dated December 2, 2024, delivered by Justice A.P. Sahi and Bharatkumar Pandya, the National Commission observed that the vehicle had remained parked for 20 years during the pendency of the dispute. This made replacing parts, which may have become obsolete, impractical. The Commission ordered the dealer and the manufacturer to pay ₹5 lakh as compensation and directed that the vehicle scrap be handed over to Singh.

The writer is a consumer activist

## Avoid initial offers of cyclical companies at high valuations

Be wary especially if the promoter is cashing out through the IPO

HIMALI PATEL

ltogether companies raised ₹1.7 trillion through initial public offerings (IPOs) in 2024. Fund mobilisation through this route is expected to rise and breach the ₹2 trillion mark in 2025, according to estimates by investment banking firm Pantomath Group. Investors planning to go for IPOs in 2025 should be cognisant of both the risks and the opportunities.

#### **Kev risks**

Amid the bullish market conditions of 2024, many IPOs received an overwhelming response. This had consequences for retail investors. "It often led to IPOs coming at inflated valuations," says Yash Sedani, assistant vice president, investment strategy, 1 Finance.

In bullish times, getting the desired allotment becomes a big issue.

In an IPO, investors have limited access to a company's historical performance, as regulations mandate disclosure of only three years of financial data. Companies often go public during periods of strong performance. In contrast, long-listed companies allow investors the opportunity to evaluate their performance across multiple business cycles.

The promoter and the investment bankers determine the pricing in an IPO. They naturally try to get the best possible price for themselves, taking advantage of bullish sentiments. "The pricing of a stock in the secondary market is discovered pricing," says Sunil Subramaniam, market expert and chief executive officer, Sense and Simplicity, a financial literacy venture. This pricing reflects the consensus opinion investors (and market sentiment).

A lack of knowledge about the antecedents of many of the promoters adds to the risk of investing in IPOs. Experts say this is especially an issue in Small and Medium Enterprise (SME) IPOs.

Market sentiment is a key unknown in IPOs. Between the filing of the prospectus and launch of the IPO, sen-



timent can turn adverse, resulting in a poor response to even a good-quality company. This can have negative consequences for those looking for listing

#### When is it okay to invest?

Long-term investors may go for an IPO when a company has a new business model with no listed peers, providing them with an opportunity to diversify their portfolios.

They may also go for an IPO when the company has strong fundamentals. 'It is advisable to invest in IPOs of entities that have exhibited a good track record and have excellent potential for future growth and sufficient profitability to share with the new investors," says Jyoti Prakash Gadia. managing director, Resurfent India, a Sebi-registered category one merchant

According to Sedani, it is okay to invest in an IPO when the company operates in a promising industry. He also urges investors to check the purpose for which the money is being raised. "The IPO proceeds should be utilised to fund business expansion,"

Another good end use is reduction of debt. The money should not go into offering an exit to promoters. "If the against overexposing one's portfolio

promoter is cashing out, it is a sign he to IPOs. does not have much confidence in the business," says Subramaniam. If venture capital investors are cashing out. that does not necessarily reflect on business prospects as they need to cash out periodically to give returns to their

Gadia adds that it is also okay to invest when the promoters come with a lot of experience, and both the competitive landscape and regulatory environment are favourable for the

#### Mistakes to avoid

Avoid falling for the hype surrounding an IPO. "Some unscrupulous promoters paint a very bright picture of growth potential and future earnings. They create high expectations about market share and market capitalisation. Retail investors tend to fall prey to such projections and put in their hard-earned money. False stories of quickly doubling your money need to be avoided," savs Gadia.

Investing without adequately researching the company must also be avoided. "Understand the company's fundamentals and assess its valuations," says Trivesh D, chief operating officer, Tradejini. He also warns

#### 27% FIRMS LISTED IN 2024

TRADE BELOW IPO PRICE			
Total number of IPOs in 2024*	336		
	(in %)		
Lowest return	-65.9		
Highest return	1,204.6		
Percentage that gave -ve returns	27.4		
0-10% return	4.5		
10-100% return	27.7		
100-500% return	25.9		
500-1000% return	1.2		
Above 1000% return	0.6		
*Data includes SME IDOs			

Investors should also be wary of investing in IPOs of companies in cyclical sectors. "The promoter may display the company's recent good performance and encash his holdings at a high valuation. In the years that follow, performance may go downhill. Investors are then left to bear the brunt of the down cycle," says Subramaniam.

Investing in IPOs when sentiment is bullish and market valuations are high can also prove perilous. Subramaniam suggests waiting. "Markets go through cycles. Even stocks of good companies do become available at a discount at a later stage in the secondary market," he says.

Avoid chasing listing gains blindly. Listing gains are not guaranteed and funds can get stuck if expectations are not met," says Trivesh.

Investors should be clear about whether they are speculators or investors in the IPO market. Speculators should cut their losses and walk away if they don't get listing gains so that they have capital for the next bet. It should not be the case that when listing gains don't materialise, they turn into long-term investors.

The writer is a Mumbai-based independent

# of purpose over influence.



(Rule- 8 (1) POSSESSION NOTICE (For Imm

Branch:-Amli(31676) Distt.-Bhilwara E-Mail:-sbi.31676@sbi.co.ir

Whereas, The undersigned being the authorized officer of the **State Bank of India** under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a **Demand Notice Dated 16.08.2024** calling upon the **Borrower-Sh** Suva lat Kumhar S/o Sh. Keshu Kumhar to repay the amount mentioned in the notice being Rs.7,54,307.00 (Rupees Seven Lakhs Fifty Four Thousand Three Hundred Seven Only) as on 15 08.2024. Plus interest & other expenses from 16.08.2024. Within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount notice is hereby given to the borrower/Guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under sub section 13(4) of the said Ac read with rule 8 of the said rules, on this 01 day of January of the year 2025.

The Borrower/Guarantor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the State Bank of India, for ar amount of Rs. 7,82,844.00 (Rupees Seven Lakhs Eighty Two Thousand Eight Hundred Forty Four Only) as on 31.12.2024 and further interest form 01.0.2025 costs, etc thereon.

The Borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the SARFAESI Act, i

espect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

All that part and Parcel of the Property Consisting of Patta No.47, Sankalp No.01 Date: 20.02.2013 Situated at Village & Post- Cheedkhera, Tehsil-Sahada, Distt. - Bhilwara (311801) in the name of Sh. Suva lal Kumhar S/o Sh. Keshu Kumhar.
Bounded: East: House of Sh. Baluram Bairwa, West: House of Sh. Banshi Lal Bairwa
North: Common Road, South: Bada of Pyare Lal Bairwa

Authorised Officer

Authorised Office

Date: 01.01.2025 Place: Bhilwara

#### Coforge Coforge Limited

CIN: L72100DL1992PLC048753 Regd Office: 8, Balaji Estate, Third Floor, Guru Ravi Das Marg, Kalkaji, New Delhi-110019. Ph: 91 (11) 41029297 Email: investors@coforge.com Website: https://www.coforge.com

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATE Notice is hereby given that the following share certificates issued by the Company i

reported lost/misplaced by the shareholder/s. The shareholder/s has thereof applied to the Company for the issuance of Letter of Confirmation in lieu of Duplicate share

Name of the Registered holder	Folio No.	Jointholder 1	No. of Shares	Certificate No.	Distinctive Nos.
Dharnendra Hooda	1066	NA	56	1079	10752951 - 10753006
	1000	INA	28	6670	39190957 - 39190984
Any person who has claim in respect of the above shares should communicate the same					

to the Company at its Registered Office (at above address) within 15 (fifteen) days from the date of this advertisement. The Company shall thereafter process the request as per the prevailing laws. Thereafter any person dealing with such share certificate/s will be doing so solely at his/her own risk as to costs and consequences and the Company shall not be responsible for it in any manner.

For and on behalf of Coforge Limited

Dated: January 04, 2025 Place: Noida

Barkha Sharma Company Secretary

Branch:-Amli(31676) Distt.-Bhilwara

(Rule- 8 (1) POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) The undersigned being the authorized officer of the State Bank of India under the ecuritization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 an exercise of the powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest [Enforcement) Rules, 2002 issued a **Demand Notice Dated 16.08.2024** calling upon the **Borrower-Si Ladu Lai Bairwa S/o Sh. Lobha Ji Bairwa** to repay the amount mentioned in the notice beir Rs.6,54,667.00 (Rupees Eight Lakhs Fifty Four Thousand Six Hundred Sixty seven Only) as on 15 08.2024. Plus interest & other expenses from 16.08.2024. Within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount notice is hereby given to the porrower/Guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the proper scribed herein below in exercise of powers conferred on him/her under sub section 13(4) of the said A

d with rule 8 of the said rules, on this 01 day of Januaryof the year 2025. The Borrower/Guarantor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with th property and any dealings with the property will be subject to the charge of the State Bank of India, for a amount of Rs. 8,84,342.00 (Rupees Eight Lakhs Eighty Four Thousand Three Hundred Forty Two Only) as on 31.12.2024 and further interest form 01.01.2025 costs, etc thereon.

The Borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the SARFAESI Act, i

respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

All that part and Parcel of the Property Consisting of Plot (Patta No.33),Sankalp No.07 Date: 01.12.2021,Situated at Village & Post-Cheedkhera, Tehsil-Sahada, Distt. - Bhilwara (211801) in the name of Sh. Ladu Lal Bairwa So, Lobha Ji Bairwa, Bounded: East: House of Sh. Chhoga Lal S/o Sh. Moda Bairwa, West: House of Sh. Jagdish S/o Sh. Rang lal Bairwa North: House of Sh. Shanker Lal S/o Sh. Magna Bairwa, South-: Road

Authorised Officer Authorised Officer

Date: 01.01.2025 Place: Bhilwara (State Bank of India)